

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा।

सेवा में,

प्रबन्धक,

अवध पब्लिक स्कूल,

टैगोर नगर, जानकी नगर, झंझरी, गोण्डा।

पत्रांक: मान्यता/17077-81 /2018-19

दिनांक: 07-02-2019

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा-18 प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, नियम-2010 के 15 के उप नियम-(4) के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 15.08.2018 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं अवध पब्लिक स्कूल, टैगोर नगर, जानकी नगर, झंझरी, गोण्डा को पत्र निर्गत तिथि से तीन वर्षों के लिए कक्षा-नर्सरी से 08 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है।

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009(उपबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2010 (उपबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन किया जायेगा।
3. विद्यालय के नर्सरी अथवा कक्षा-1 में बालकों की संख्या-25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बाको के प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उप धारा-(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्तियां किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय के किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक और उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
क. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेर नहीं किया जायेगा और न उसे विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

ख. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।



- ग. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- घ. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- ड. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
- च. अध्यापको की भर्ती धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्जित करेंगे।
- छ. अध्यापक अधिनियम की धारा-24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगा।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों एवं सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है:-
- | | |
|--|--------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | :—4200 |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल | :—3600 |
| क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल | :— |
| कक्षाओं की संख्या | :—10 |
| प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष | :—है। |
| बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय | :—है। |
| पेयजल सुविधा | :—है। |
| मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई | :— |
| बाधारहित पहुँच | :—है। |
| अध्यापन पाठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्कारों | :—है। |
| पुस्तक की उपलब्धता | :—है। |
9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाये नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों व अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग के शिक्षा एवं कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय की सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- स्कूल को किसी व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।



13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला के बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड-03 है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्या का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट आदि सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा अनुदेशकों का पालन करता है जो मान्यता प्रबन्धों शर्तों के सतत अनुपालन सुनिश्चित करेगा या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाय।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण का यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाय।
17. संलग्नक उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार पर प्रदान की गयी है। भविष्य में यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

07/02/19

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

पृ0सं0/मान्यता/ /2018-19 दिनांकित।
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला समाज कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
2. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
3. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, गोण्डा।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, गोण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित है कि आपकी आख्या एवं संस्तुति के आधार पर मान्यता प्रदान की गयी है। यदि भविष्य में कोई शिकायत या तथ्य गोपन पाया जाता है तो आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गोण्डा

